# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 51/2016 दायर दिनाँक 04.04.2016

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. पप्पूराम पुत्र स्व0 चन्द्रा जाति मेगवंशी निवासी बांसा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. अमित कुमार पुत्र मोतीलाल<br>2. पुनम पत्नी अमित कुमार जाति मेघवाल निवासी बांसा<br>3. रामनिवास पुत्र स्व0 कानाराम<br>4. नेमाराम पुत्र स्व0 कानाराम<br>5. दीपाराम पुत्र स्व0 जोधाराम<br>6. श्याम पुत्र स्व0 जोधाराम<br>7. राजेन्द्र पुत्र स्व0 जोधाराम<br>8. पदमादेवी पत्नी स्व0 जोधाराम<br>9. पुसाराम पुत्र स्व0 रतनाराम<br>10. सुरजाराम पुत्र स्व0 चन्द्रा<br>11. छीगनाराम पुत्र स्व0 चन्द्रा<br>12. भोलकी पत्नी स्व0 चन्द्रा<br>समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0<br>13. नायब तहसीलदार मौलासर |

दावा बाबत्
बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:— पक्षकारान

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक 27.12.2018

मौजा सरहद बांसा में स्थित खेत खसरा सं0 165 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा का वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 12 के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को, दिनाँक 26.05.2017 को प्राथमिक डिक्री कर, विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 12 दिनाँक 06.05.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अत: तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन पत्रांक: 12 दिनाँक 06.05.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 51/2016
दायर दिनाँक 04.04.2016, निर्णय दिनाँक 27.12.2018
पप्पूराम बनाम अमित कुमार, वगैरा।

## आदेश

दावा डिक्री सादिर कर मौजा सरहद बांसा में स्थित खेत खसरा सं0 165 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 12 दिनाँक 06.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 12 दिनाँक 06.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अंतिम निर्णय आज दिनाँक **27.12.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदद्मे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **51/2016** दायर दिनाँक **04.04.2016**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. पप्पूराम पुत्र स्व0 चन्द्रा जाति मेगवंशी निवासी बांसा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. अमित कुमार पुत्र मोतीलाल<br>2. पुनम पत्नी अमित कुमार जाति मेघवाल निवासी बांसा<br>3. रामनिवास पुत्र स्व0 कानाराम<br>4. नेमाराम पुत्र स्व0 कानाराम<br>5. दीपाराम पुत्र स्व0 जोधाराम<br>6. श्याम पुत्र स्व0 जोधाराम<br>7. राजेन्द्र पुत्र स्व0 जोधाराम<br>8. पदमादेवी पत्नी स्व0 जोधाराम<br>9. पुसाराम पुत्र स्व0 रतनाराम<br>10. सुरजाराम पुत्र स्व0 चन्द्रा<br>11. छीगनाराम पुत्र स्व0 चन्द्रा<br>12. भोलकी पत्नी स्व0 चन्द्रा<br>समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0<br>13. नायब तहसीलदार मौलासर |

**दावा बाबत्**
**बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा—53, 188, R.T.Act.**

दिनाँक **27.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बांसा में स्थित खेत खसरा सं0 165 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 12 दिनाँक 06.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 12 दिनाँक 06.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.....................
–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>–<br>–<br><br><br><br> | | स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/51** दायर दिनांक **04.04.2016**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. पप्पूराम पुत्र स्व0 चन्द्रा जाति मेगवंशी निवासी बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 | बनाम् | 1. अमित कुमार पुत्र मोतीलाल<br>2. पुनम पत्नी अमित कुमार जाति मेघवाल निवासी बांसा<br>3. रामनिवास पुत्र स्व0 कानाराम<br>4. नेमाराम पुत्र स्व0 कानाराम<br>5. दीपाराम पुत्र स्व0 जोधाराम<br>6. श्याम पुत्र स्व0 जोधाराम<br>7. राजेन्द्र पुत्र स्व0 जोधाराम<br>8. पदमादेवी पत्नी स्व0 जोधाराम<br>9. पुसाराम पुत्र स्व0 रतनाराम<br>10. सुरजाराम पुत्र स्व0 चन्द्रा<br>11. छीगनाराम पुत्र स्व0 चन्द्रा<br>12. भोलकी पत्नी स्व0 चन्द्रा समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0<br>13. नायब तहसीलदार मौलासर |

**दावा बाबत्**
**बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा – 53, 188 R.T.Act.**

**उपस्थितः–** पक्षकारान

### –:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक **26.05.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खसरा सं0 165 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा वाके सरहद बांसा में अवस्थित है। वादी के दादा रतनाराम के चार पुत्र चन्द्रा, जोधाराम, पुसाराम व कानाराम हुए। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है। उक्त खसरान की भूमि जो रतनाराम के वारिसान चार पुत्र चन्द्रा, जोधाराम, पुसाराम व कानाराम चारों भाईयों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि को आज से करीब 30 वर्ष पूर्व चारों भाईयों ने मौखिक बंटवारा कर लिया था। वादी व प्रतिवादीगण सं0 10 ता 12 अपने पिता व पति की काश्त की जमीन के अनुसार व माफिक बंटवारा के अनुसार खसरा सं0 165 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा में से 03 बीघा 02 बिस्वा पर काबिज है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2016/51
दायर दिनांक 04.04.2016 प्राथमिक निर्णय दिनांक 26.05.2017
पप्पूराम बनाम अमित कुमार, वगैरा।

वर्तमान में जमीन की कीमतें बढ जाने से दीगर प्रतिवादी सं0 09 पुसाराम पुत्र रतनाराम ने अपने संयुक्त काश्त की जमीन में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 को बिना बंटवारा के दिनांक 17.12.2014 को बेचान कर दिया व दीगर प्रतिवादी सं0 05 ता 08 ने अपने संयुक्त काश्त की जमीन में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 02 को बिना बंटवारा के दिनांक 17.12.2014 को बेचान कर दिया।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद बांसा के खसरा सं0 165 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा जमीन को बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कर वादी व प्रतिवादी सं0 10 ता 12 के खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन 03 बीघा 02 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में अलग से अमल दरामद करवाई जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट निमोद में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद बांसा के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है। अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

**–:: आदेश ::–**

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर वाके सरहद बांसा के खसरा सं0 165 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा आराजी उपर्युक्त का वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 12 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा कर विभाजन प्रस्तावित करने बाबत भूमिधारी (तहसीलदार) डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट निमोद में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **51/2016** दायर दिनाँक **08.12.2009**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. पप्पूराम पुत्र स्वर्गीय चन्द्रा, जाति–मेघवंशी, निवासी–बाँसा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. अमितकुमार पुत्र मोतीलाल,<br>2. पुनम पत्नी अमितकुमार, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–बाँसा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>3. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय कानाराम,<br>4. नेमाराम पुत्र स्वर्गीय कानाराम,<br>5. दीपाराम पुत्र स्वर्गीय जोधाराम,<br>6. श्याम पुत्र स्वर्गीय जोधाराम,<br>7. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय जोधाराम,<br>8. पदमादेवी पत्नी स्वर्गीय जोधाराम,<br>9. पुसाराम पुत्र स्वर्गीय रतनाराम,<br>10. सूरजाराम पुत्र स्वर्गीय चन्द्रा,<br>11. छीगनाराम पुत्र स्वर्गीय चन्द्रा,<br>12. भोलकी पत्नी स्वर्गीय चन्द्रा, समस्त,जाति–मेघवंशी, निवासी–बाँसा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>13. नायब तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.**

**उपस्थितः–**

1. पक्षकारान्।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना जिला-नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 51/2016
दायर दिनाँक 04.04.2016, निर्णय दिनाँक 09.05.2018
पप्पूराम बनाम् अमितकुमार, वगैरा।

—:: **निर्णय** ::—

दिनाँक **09.05.2018**

शरहद मौजा बाँसा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 165 रकबा 12.08 बीघा के बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 26.05.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–बाँसा में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 12 दिनाँक 09.05.2018 के द्वारा न्याय आपके द्वार, 2018 राजस्व कोर्ट कैम्प–बाँसा में विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 09.05.2018 को स्वीकार कर हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

**आदेश**

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा बाँसा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 165 रकबा 12.08 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 09.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 09.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
**R.A.S.**
**सहायक कलक्टर**
**डीडवाना**
**कोर्ट कैम्प–बाँसा**

निर्णय आज दिनाँक **09.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
**R.A.S.**
**सहायक कलक्टर**
**डीडवाना**
**कोर्ट कैम्प–बाँसा**

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
**न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प**
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **51/2016** दायर दिनाँक **04.04.2016**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. पप्पूराम पुत्र स्वर्गीय चन्द्रा, जाति–मेघवंशी, निवासी–बाँसा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. अमितकुमार पुत्र मोतीलाल,<br>2. पुनम पत्नी अमितकुमार, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–बाँसा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>3. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय कानाराम,<br>4. नेमाराम पुत्र स्वर्गीय कानाराम,<br>5. दीपाराम पुत्र स्वर्गीय जोधाराम,<br>6. श्याम पुत्र स्वर्गीय जोधाराम,<br>7. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय जोधाराम,<br>8. पदमादेवी पत्नी स्वर्गीय जोधाराम,<br>9. पुसाराम पुत्र स्वर्गीय रतनाराम,<br>10. सूरजाराम पुत्र स्वर्गीय चन्द्रा,<br>11. छीगनाराम पुत्र स्वर्गीय चन्द्रा,<br>12. भोलकी पत्नी स्वर्गीय चन्द्रा, समस्त,जाति–मेघवंशी, निवासी–बाँसा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>13. नायब तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.**

दिनाँक **09.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान** ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा बाँसा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 165 रकबा 12.08 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 09.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना, जिला-नागौर

(लगातार)

Scanned by CamScanner

किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 09.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.......... ..........–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **09.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

**सहायक कलक्टर**
**डीडवाना**
**कोर्ट कैम्प–बाँसा**

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह<br>सबूत<br>महनताना<br>वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>–<br>– | | स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

**सहायक कलक्टर**
**डीडवाना**
**कोर्ट कैम्प–बाँसा**

Scanned by CamScanner